



BK BIRLA GROUP OF COMPANIES

MANGALAM CEMENT LTD.



MANGALAM CEMENT LTD.

MC/SEC/
January 30, 2021

The Corporate Relations Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai 400 051

Security Code : MANGLMCEM

The Corporate Relations Department
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 502157

Sub: Newspaper cutting for Publication(s) of Notice for Hon'ble NCLT Convened Meetings.

Pursuant to the regulation 30 and all other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we attach herewith copy of newspaper advertisement(s) published in Financial Express" (All Editions in English Daily) and "Rashtrdoot" (Rajasthan Edition in Hindi Daily) containing the notice of NCLT convened meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors scheduled to be held on Monday, the 01st day of March, 2021 at 10.00 AM (IST), 12.00 Noon (IST) and 2.30 PM (IST) respectively through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means in connection with the Amalgamation of Mangalam Timber Products Limited with the Company.

Please take the information on record.

Thanking you.

Yours Faithfully,
For Mangalam Cement Limited

Manoj Kumar
Company Secretary

Encl: As above

Regd. Office & Works : P.O. Aditya Nagar-326520, Morak, Distt. Kota (Raj.) CIN : L26943RJ1976PLC001705, Telefax : 07459 - 232156
Website : www.mangalamcement.com, E-mail : email@mangalamcement.com

Kota Office : Shop No. 20, 80 Feet Road, Opp. Sukhdham Colony, (Near SBI Bank) Kota - 324001(Rajasthan)
Mob : 9351468064 / 9351468055 / 9351468445, E-mail : mclcta@kappa.net.in

Delhi Office : 153, Leela Building (GF), Okhla Indl. Estate, Phase-III, New Delhi - 110020
Tel. No. : 011- 43539132, 43539133, 43539137 Fax : 011- 23421768
E-mail : delhi.purchase@mangalamcement.com, delhi.marketing@mangalamcement.com

Jaipur Office : 2nd Floor, Geejgarh Tower, Hawa-Sarak, Jaipur - 302 006 (Rajasthan)
Tel. : 0141 - 2218933, 2218931, E-mail : jaipur.marketing@mangalamcement.com

खालसा पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग: दो की मौत, नौ गंभीर रूप से घायल

गैस टैंकर को ट्रक में जनरेटर लगाकर खाली करने के दौरान हुआ हादसा

अजमेर, (कासं)। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के परबतपुरा बाईपास स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को गैस टैंकर को एक ट्रक में जनरेटर लगाकर खाली किया जा रहा था, इसी दौरान तेज धमाका हुआ और आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई वहीं 9 लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है जिसमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।



आदर्शनगर स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर लगी भीषण पर काबू पाती दमकल गाड़ियां।

किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रक में रखे जनरेटर में अचानक एक धमाका

हुआ और आग लग गई जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिसमें दो



■ दमकल गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वहां पर मौजूद 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल व एम्बुलेंस पहुंच गई और सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान दमकलों ने आग पर काबू पाया। घायलों की हालत गम्भीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार खालसा पंप मालिक सुरेन्द्र दुआ, पुत्र जतिन

दुआ भी घायल हुए।

पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक अजमेर उतर वासुदेव देवनानी ने माखुपुरा स्थित पेट्रोल पम्प पर आग की घटना को अत्यन्त दुःखद एवं पीडादायक बताया। घटना की जानकारी मिलने पर देवनानी जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचे तथा घायलों की कुशलक्षेम पूछी। देवनानी ने कहा कि सरकार को घटना की जांच करानी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि इस घटना के लिए किसी स्तर पर कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई व उसके जिम्मेदार कौन है अथवा अन्य कोई तकनीकी फॉल्ट के चलते यह गंभीरी हादसा घटित हुआ है। अस्पताल प्रशासन को घायलों की बेहतर ईलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।

11 जिलों में शीत लहर का यलो अलर्ट, माउंट आबू माइनस में

जोधपुर, (कासं)। पश्चिमी राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी तापमापी पारा लगातार माइनस में चल रहा है। यहाँ का तापमान दो दिनों से माइनस 3 डिग्री पर रहने से शुक्रवार सवेरे झाड़ियों में बर्फ जम गई। उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी के चलते मारवाड़ में कडाके की सर्दी का दौर जारी है। इस कारण दोपहर में तेज धूप छिलने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। आज भी अधिकांश शहरों में दिन का पारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दो दिन तक दिन में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के 11 जिलों में शीत लहर का यलो अलर्ट और 5 जिलों में पाला गिरने का यलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिम विक्षोभ के कारण सर्द हवाओं से कुछ राहत मिल सकती है। एक फरवरी के आसपास एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।

अलवर, (निसं)। पांच लाख के इनामी बदमाश पपला गुर्जर को लेकर पुलिस का विशेष टीम का दस्ता रात को दो बजे नीमराणा थाने पर पहुंचा। जहाँ रात को कुछ्वात बदमाश पपला और उसके महिला सहयोगी को नीमराणा थाने के अलग-अलग बैरक में रखा गया। शुक्रवार सुबह पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साक्ष पुलिस टीम उसे बहरोड़ के रेपरल

■ पपला को दो दिन की जेसी और उसकी महिला सहयोगी को सात दिन का पुलिस रिमांड मिला

अस्पताल लेकर पहुंची। जहाँ पर उसकी मेडिकल जांच कराई गई और उसके बाद कुछ्वात अपराधी को बहरोड़ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पपला को दो दिन की जेसी और उसकी महिला सहयोगी को सात दिन के पीसी पर भेज दिया। शुक्रवार को सुबह कड़ी सुरक्षा के



पुलिस की विशेष टीम ने सुरक्षा के बीच पपला को कोर्ट में पेश किया।

बीच बहरोड़ सीएचसी में उसका मेडिकल कर्वाया गया और फिर पपला और उसकी महिला मित्र को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पपला को दो दिन की जेसी और उसकी महिला मित्र को सात दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस कोर्ट से कड़ी सुरक्षा बीच वापिस नीमराणा थाना में ले गई। महानिदेशक पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज डॉ. हवासिंह घुमरिया ने जयपुर रेंज का चार्ज लेने के साथ ही वांछित अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया।

बीच बहरोड़ सीएचसी में उसका मेडिकल कर्वाया गया और फिर पपला और उसकी महिला मित्र को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पपला को दो दिन की जेसी और उसकी महिला मित्र को सात दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस कोर्ट से कड़ी सुरक्षा बीच वापिस

तस्करों का पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग

जोधपुर, (कासं)। जिले में मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए ग्रामीण पुलिस की तरफ से नाकाबंदी जारी है। शुक्रवार की मध्य रात संदिग्ध गाडी का पुलिस ने पीछा किया। इधर कार में सवार बदमाश पुलिस को देख भागने लगे। बाद में इनकी कार सड़क से उतर कर खाई में पटत गई । हादसे में एक बदमाश घायल हो गया । जबकि एक शख्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बच गए। इस बीच दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया है। संदेह है कि पकड़ी गई इनोवा कार चोरी की गई है। ये लोग बड़े वाहन चोर अथवा तस्कर हो सकते हैं। सूचना पर देर रात पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल भी मौके पर पहुंचे।



घायल बदमाश को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया।

तब पीपाड़ साथीन रोड पर एक इनोवा कार संदिग्ध रूप से आती दिखाई दी। इस पर इनोवा के चालक ने गाडी को

■ इनोवा पलटी, एक बदमाश घायल, दो हुए फरार

■ फायरिंग के बाद सुरक्षित बचे पुलिसकर्मी, जोधपुर एस्पी ने लिया घटना का जायजा

घुमाकर फरार होने का प्रयास इस दौरान कार पलटने से भोपालगढ निवासी महिपाल पुत्र खेताराम विश्रौई घायल हो गया। जबकि उसके दो साथियों में एक ने पुलिस पर फायर कर दिया और भाग निकले। पुलिस ने इस कार में सवार अन्य युवक बिलाडा के मतवालों की ढाणी निवासी सुनील विश्रौई के रूप में पहचान की है। जबकि तीसरे की तस्दीक की जा रही है।

महुवा में कोहरे से पाच वाहन भिड़े

महुवा, (नि.सं.)। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पाडली मोड़ पर घने कोहरे के कारण पांच वाहन आपस में भिड़ गए जिसमें पांच घने घायल हुए। घायलों को पुलिस ने सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। थाना पुलिस के अनुसार पाडली मोड़ शुक्रवार सुबह घने कोहरे के चलते पर जयपुर की ओर जा रही रोडवेज बस देलर से जा टकराई। जिसके बाद बस के पीछे आ रही तीन कार भी आपस में भिड़ गई। जिसमें बलदेव जवाहर नार भरतपुर, रमेश पाल सिंह, विश्वेंद्र सिंह निवासी ढं हरा भरतपुर, अंजू चौधरी निवासी वैर, महेश चंद निवासी कुम्हेर गेट भरपुरर घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग पर फंसे वाहनों को वहां से हटाकर यातायात सुचारु करवाया।

DIRECTOR WORKS (EO)			
Rajasthan University of Veterinary & Animal Science, Bikaner (Raj.)			
क्रमांक: F ()/DW(EO)/RAJUVAS/2020-21/1056-1066			दिनांक 25/1/2021
UBN-VAU2021WLBOO0050			
निविदा सूचना संख्या. 7 र्ब 2020-2021			
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की ओर से विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में, इस विश्वविद्यालय में एवं अन्य विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों, जो कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के समकक्ष हो, पंजीकृत संवेदकों से ई-टेंडरिंग के माध्यम से निष्पत्ति प्राप्त में ऑन लाईन निविदा प्राप्त की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.dipr.rajasthan.gov.in/tenders.aspx, www.rajuvvas.org, www.sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।			
	निदेशक कार्य (पू.अ.)		
राज.संवाद /सी/ 9265 / 2020-21		राज.पशु.वि. एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (राज.)	

राजस्थान सरकार				
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर				
विभागীয় दूरभाष नं.-0294-2415091 विभागीय एक्सेशन नम्बर 211, 212, व 219				
क्रमांक : निदे/ अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (QLI)/2021/135 दिनांक : 27.01.2001				
नीलामी विज्ञापित				
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली,2017 के अध्याय-III के तहत अप्रधान खनिजों के 55 क्वारी लाइसेंस प्लॉटों का आवंटन किये जाने के लिए ई-निलामी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर दिनांक 16-02-2021 से 19-02-2021 तक की अवधि में बोली आमंत्रित की जाती है। क्वारी लाइसेंस प्लॉटों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-				
क्र.सं.	जिला	ग्राम (तहसील)	खनिज	कुल प्लॉट
1	नागौर	खड़कलाँ (जायल)	सेण्डस्टोन	20
2	चित्तौड़गढ़	रावडडा (बेंगू)	सेण्डस्टोन	22
3	भीलवाड़ा	नयानगर (बिजौलिया)	सेण्डस्टोन	
4	चित्तौड़गढ़	बिनाता (निम्बाहेड़ा)	लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी व खण्डा)	3
4	भीलवाड़ा	बिजौलिया खुर्द, ए (बिजौलिया)	सेण्डस्टोन	4
5	भीलवाड़ा	सुखपुरा (बिजौलिया)	सेण्डस्टोन	3
6	भीलवाड़ा	महुदुरा (बिजौलिया)	सेण्डस्टोन	1

क्वारी लाइसेंस प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑक्शन की शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट www.msotcommerce.com पर उपलब्ध है।

DIPRC /920 /2021

(के. बी. पण्ड्या) आईएसएस निदेशक

सिणधरी में कोरोना का पॉजिटिव मिला

सिणधरी, (निसं)। उपखंड मुख्यालय सिणधरी की राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के एक कार्मिक को कोरोना पॉजिटिव होने से वैकट को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है वही उक्त कार्मिक को कोविड सेंटर बाड़मेर में भर्ती करवाया गया है।

समकक्ष राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर बेंच, जयपुर				
सी ए (सी ए ए) नं. 72/230/जे पी आर/2020				
सहपटित				
आईए नं. 427/जे पी आर/2020 में				
सी ए (सी ए ए) नं. 72/230/जे पी आर/2020				
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में – धारा 230(1) सहपटित धारा 232(1)				
तथा के मामले में : मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन कंपनी बनाया गया है तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अर्थ में कंपनी होने के त्तर इसका आइडेंटिफिकेशन नं. L26943RJ1976PLC001706 है एवं इसका पंजीकृत कार्यालय, पो.आ. – आदित्य नगर– 326520, मोड़क, जिला : कोटा, राजस्थान राज्य में स्थित है। आवेदक एन सी एल टी की ओर से इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों व असुरक्षित लेनदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (“ वी सी”)/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (“ओ ए वी एम”) से बैठक आयोजित करने की सूचना का वित्तीय पुनर्द्धार सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर (“अधिकरण”) की माननीय जयपुर बेंच ने सी ए(सी ए ए) नं. 72/230/जे पी आर/2020 के पारित होने को दिनांक 12 मार्च 2020 आदेश जारी किया था उसे माननीय अधिकरण के आदेश नं. 427/जे पी आर/2020 से संबंधित आवेदन में 7 जनवरी 2021 को जारी आदेश से संबंधित किया गया है जिसेअब से सामूहिक रूप से “आदेश” संबंधित किया गया है इसमें निर्देश दिया गया है कि मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड (“ट्रांसफरर कम्पनी”) इसके इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों व असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठक आयोजित करे, यदि प्रतिनिधियों के लिए उपयुक्त हो, यह इस उद्देश्य के लिए विचारार्थ है जो संशोधनों का अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए बगैर हो। यह मंगलम लिमिटेड ग्रोडक्ट लिमिटेड की प्रस्तावित समायोजन (“स्क्रीम”) की योजना है जो कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 230 से 232 तक तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत (“अन्तरणकर्ता कंपनी”) की ट्रांसफरर कंपनी के अधीन है। उपरोक्त कथित आदेश के अनुपालन में जैसाकि उसमें निर्देश दिया गया है एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इक्विटी शेयरधारकों, सिक्वोर्ड क्रेडियर्स व अन्य अनसिक्वोर्ड क्रेडिटर्स जो कंपनी के आवेदक है की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (“ वी सी”)/ओ ए वी एम”) के माध्यम से अलग-अलग जिसे यहां बैठकों के रूप में संबोधित किया हो। निम्न समय के अनुसार की जाएगी। उपर्युक्त कथित इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों व असुरक्षित क्रेडिटर्स से निम्न निर्दिष्ट स्थान व समय पर बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है।				
क्र.सं.	मतदान का तरीका	बैठक की तारीख	समय (आईएसटी)	बैठक का मोड/स्थान
1.	सिक्वोर्ड क्रेडियर्स	सोमवार 01 मार्च 2021	सुबह 10.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(“ वी सी”)/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों
2.	अनसिक्वोर्ड क्रेडिटर्स		दोपहर 12.00 बजे	(“ओ ए वी एम”) के माध्यम से, बैठक का आयोजित
3.			दोपहर 2.30 बजे	स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा

कोविक-19 महामारी के महदेवर व संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग के भागकों के अनुरूप एवं माननीय एन सी एल टी के निर्देशों के अनुरूप व कंपनी कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के द्वारा जारी लागू संकुलरों के तहत उक्त बैठकों का आयोजन भी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्य व क्रेडिटर्स उनसे से संबंधित बैठकों में शामिल व उपस्थित केवल वीसी/ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से ही हो सकते है।

उपयुक्त कथित आदेशों के अनुपालन में व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार कंपनी संबंधित बैठकों में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। आगे यह और कि ट्रांसफरर कंपनी इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित बैठकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग व पोस्टल वोट की सुविधा प्रदान कर रही है तथा क्रेडिटर्स की मीटिंग के लिए भी रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

उपयुक्त कथित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1), 232(2) एवं 102 के साथ पठित कंपनीज (समझोते, व्यवस्था व समायोजन)/नियम-2016 (“नियम”) के तहत उक्त कथित योजना की प्रतियां, स्वतः स्पष्ट ट्रेडसेमेन्स के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज को एक दिन (1) दिन के अन्दर (रिवाय शनिवार, रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसकी आपूर्ति के लिए ट्रांसफरर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जो पो.आ. आदित्य नगर- 326520, मोड़क, हिजला कोटा, राजस्थान, राज्य में स्थित है से इक्विटी शेयरधारकगण, सिक्वोर्ड क्रेडिटर्स व अनसिक्वोर्ड क्रेडिटर्स को प्रदान किए जाएंगे।

कंपनी ने एन सी एल टी का नोटिस शुक्रवार 29 जनवरी 2021 को बुलाई गई बैठक का उन शेयरधारकों/क्रेडिटर्स को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजा है जिनकी ई-मेल आईडीज कंपनी के पास पंजीकृत है तथा नोटिस को कोमाज की प्रति न शेयरधारकों/क्रेडिटर्स को प्रेषित की गई है जिनकी ई-मेल आईडीज कंपनी व कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफरर अजन्त के पास पंजीकृत नहीं है उन्हें उनके अनिम उपलब्ध पते पर भेजी गई है। वैकल्पिक आयोजित करने का स्वत स्पष्ट ट्रेडसेमेन्स वाला नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.mangalamcement.com, स्टिक एसएसके अर्थात (“ वी एम ई”) लिमिटेड की वेबसाइट व नेशनल क्रेडिट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एन एस ई”) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं nseindia.com पर उपलब्ध है तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लि।। (“ सी डी एम एल”) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

बैठकों के दौरान रिमोट से ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग करने के लिए निर्देश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा समय-समय पर संबोधित व लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 44 के तहत कंपनी सर्वशे शेयरधारकों/क्रेडिटर्स को बैठक के लिए “रिमोट ई-वोटिंग” करने की सुविधा प्रदान करती है तथा सम्बन्धित बैठकों में निर्दिष्ट कार्यव्यवहार को पूरा करने के लिए ई-वोटिंग करने की सुविधा भी प्रदान करती है। ये लोग सी डी एम एल के द्वारा परम्पत्र्य कराई गई ई-वोटिंग सर्विसेज के द्वारा भी उनका मतदान इलेक्ट्रॉनिकी तरीका कर सकते हैं। संबोधित बैठकों के नोटिस में बैठकों के दौरान रिमोट से ई-वोटिंग करने सीहत ई-वोटिंग करने के लिए निर्देश दिए गए है।

उपयुक्त कथित शेयरधारकों/क्रेडिटर्स के लिए वोट डालने की तारीख 31 दिसंबर 2020 (संबंधित तारीख) उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए यह तारीख है। इस नोटिस को प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको उक्त तथाकथित तारीख को वोट डालने का अधिकार नहीं है वह इस नोटिस को केवल सूचना/सूचना ही समझे।

बांकी फाउंट के मामले में भले ही वह इक्विटी शेयरधारक हो अथवा सुरक्षित लेनदार अथवा असुरक्षित हो किसी भी व्यक्ति को बैठकों में उसके प्रतिनिधित के रूप में भाग लेने के लिए प्राधिकृत करती है तो उसे निदेशक मंडल प्राधिकृत करने की प्रति, अथवा ऐसी बांकी फाउंट कंपनी में जिस अवधि बांकी जिसने ऐसे व्यक्ति को बैठकों में प्रतिनिधित के रूप में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया है के संसत्य को प्रति, जिसे निदेशक, प्रबंधक कंपनी, सचिव, अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सत्यापित प्रमाणित प्रति को ट्रांसफरर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले जमा करना होगा।

माननीय डिप्युलर ने सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रदीप पिंचा, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव, एफसीएस-5369 को नियुक्त किया है। उनके विकफल रहने पर, श्री संदीप तनेजा, अधिकृत को बैठकों का वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।इसमें कोई स्थिति भी शामिल है। माननीय अधिकरण ने श्री अशित कुमार जोगिड, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, एसीएस-44537 को बैठकों का संबोधक नियुक्त किया है।इसमें किसी भी प्रकार का स्थान भी शामिल है, निष्पक्ष व पारदर्शिता के लिए।

यहां एतद्द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए भी सूचना दी गई है

- ट्रांसफरर कंपनी ने बैठक के दौरान पोस्टल वोट से वोटिंग करने, रिमोट से ई-वोटिंग करने व ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि इक्विटी शेयरधारक, स्क्रीम पर विचार करके उसका अनुमोदन कर सकें। एलेक्ट्रिक कंपनी ने बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग करने व ई-वोटिंग करने के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड (“सीडीएसएल”) की सेवाओं को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है।
- स्क्रीम के अनुमोदन का संकल्प यदि ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के द्वारा आवश्यक बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 (6) के साथ पठित धारा 232(1) के तहत उक्त तारीख को सम्पन्न बैठक के द्वारा विधिवत पारित समझा जाएगा।
- जिस इक्विटी शेयरधारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर में होगा। गुरुवार 31 दिसम्बर 2020 के आधार पर (कट ऑफ डेट) की हितधारकों के स्वाधियों को सूची में होगा केवल वह ही वोट डालने का हकदार होगा। इक्विटी शेयरधारकों/लाभार्थी स्वाधियों के हकदार में जिस शेयर धारक का नाम कट ऑफ डेट अन्तिम तिथि को शेयर की पेड अप मूल्य के आधार पर होगा उसे ही वोट डालने का हकदार माना जाएगा। कोई व्यक्ति/इक्विटी शेयरधारक बनता है वह इस नोटिस को केवल सूचनायें समझे और वह बैठक के सभास्थल पर वोटिंग के अधिकार की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा।
- इक्विटी शेयरधारक पोस्टल वोट एवं रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा शनिवार 30 जनवरी 2021 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और यह वोटिंग की सुविधा रविवार, फरवरी 28, 2021 (अन्तिम तारीख) को शाम 5.00 बजे (अन्तिम समय) पर समाप्त हो जाएगी। अन्तिम तारीख व अन्तिम समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- जो सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग/पोस्टल वोट के माध्यम से वोट डालेंगे उन्हें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक के भाग लेने की अनुमति होगी परन्तु ऐसे सदस्य को दुबारा उनका वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
- पोस्टल वोट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक इक्विटी शेयरहोल्डर्स से अनुरोध है कि वे पोस्टल वोट के बंद फार्म व नोटिस में प्रेक्षित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और स्वयं के पते व पोस्टेज फ्री-पेड डिप्लोमेट रिवाल्स को संलग्न करने हुए पोस्टल वोट का फार्म को यथावत भरकर वापस भेजें, ताकि वह जिसने रिवाल्स लिफाफे में वर्णित पते पर अधिक से अधिक रविवार 28 फरवरी 2021 को सायं 5 बजे तक पहुँच जाए। यदि रविवार, 28 फरवरी 2021 को सायं 5 बजे के बाद कोई पोस्टल वोट प्राप्त होता है तो उसे माना जाएगा कि इक्विटी शेयरहोल्डर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। किसी इक्विटी शेयरहोल्डर द्वारा यदि किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है तो ऐसे इक्विटी शेयरहोल्डर को इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिन्हें पोस्टल वोट फार्म प्राप्त नहीं किया है, इसे कम्पनी की वेबसाइट www.mangalamcement.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वे इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने पोस्टल वोट फार्म प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए हस्तांतरित कम्पनी में आवेदन कर सकते हैं।
- कृपया ध्यान दें कि इक्विटी शेयर होल्डर हस्तांतरित कम्पनी द्वारा आयोजित वीसी/ओएवीएम के दौरान अपनाए जाने वाले (अ) पोस्टल वोट (ब) रिमोट ई-वोटिंग या (स) ई-वोटिंग में से किसी एक तरीके से ही अपने मताधिकार के प्रयोग का विकल्प चुन सकेंगे। यदि आप पोस्टल वोट और रिमोट ई-वोटिंग, दोनों पर अपना वोट डालते हैं तो रिमोट ई-वोटिंग के जरिए दिया गया मत माना होगा। पोस्टल वोट पर डाले गये वोट को अवैध माना जाएगा। यद्यपि, यदि आप अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग से देते हैं तो आपको मीटिंग स्थल पर ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, इस पर भी ध्यान दें कि यदि आप पोस्टल वोट रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपने वोट डालते हैं तो आप मीटिंग में भाग लेने और वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित मीटिंग में शामिल होने के अधिकारी होंगे, लेकिन मीटिंग के दौरान आपको एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हस्तांतरित कम्पनी के आरक्षित और अनारक्षित लेनदारों (“लेनदारों”) को एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि :

- हस्तांतरित कम्पनी ने मीटिंग के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करवाई है ताकि लेनदार स्क्रीम पर विचार करें और उसे अनुमोदित करने में समर्थ हो सकें। आवेदक कम्पनी ने मीटिंग के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम (इण्डिया) लिमिटेड (“सीडीएसएल”) की सेवाएं ली हैं।
- जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, यदि हस्तांतरित कम्पनी के लेनदारों के अधीन बहुमत द्वारा स्क्रीम की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसे कम्पनी अधिनियम, 2019 की धारा 230(6), सहपटित धारा 232(1) के तहत होने वाली संबंधित मीटिंग (अर्थात 1 मार्च 2021) की तिथि को यथावत रूप से पारित होना माना लिया जाएगा।
- वे लेनदार, जिनका नाम 31 दिसम्बर 2020 गुरुवार (निर्दिष्ट तिथि) को सामाने आया है, वे ही सम्बन्धित मीटिंग में वोट डालने के पात्र होंगे। उपरोक्त सम्बन्ध तिथि को लेनदारी की बकाया (कम के हिसाब से ही मताधिकार के उद्देश्य से) वोटिंग पद्धतय सूच होगी।
- लेनदारों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के जरिए बुधवार 24 फरवरी 2021 को प्राप्त: 9 बजे वोटिंग शुरू की जाएगी और रविवार 28 फरवरी 2021 (अंतिम तिथि) को सायं 5 बजे (अंतिम समय) पर यह समाप्त होगी।
- जो लेनदार रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम के जरिए होने वाली अपनी सम्बन्धित मीटिंग्स में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे सदस्य अपना वोट फिर से डालने के पात्र नहीं होंगे।
- कृपया ध्यान दें कि आप हस्तांतरित कम्पनी द्वारा आयोजित वीसी/ओएवीएम के दौरान अपनाए जाने वाले (अ) रिमोट ई-वोटिंग या (ब) ई-वोटिंग में से किसी एक तरीके से ही अपने मताधिकार के प्रयोग का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के जरिए डालते हैं व मीटिंग स्थल पर आपके लिए ई

G. Raghunath Nagar, Little Wings Campus,
M.G. Road, Agra-282002, Phone: 05625229551,
E-mail: agr@federalbank.co.in

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

NOTICE REGARDING LOCKER OPERATION

The Federal Bank (Bank) hereby gives notice that certain irregularities have been observed in the maintenance of locker(s) hired by persons whose details are furnished below. Notice(s) sent to the respective locker hire(s) has/have been returned unserved. The locker hire(s)/other interested parties are hereby informed that in case they fail to regularize the locker arrangement by visiting the Branch within 15 days from the date of this notice, Bank will be constrained to force open the locker(s) and take necessary further actions, as the Bank may deem fit, at the cost and expenses of the locker hire(s).

Branch	Locker Number	Name & Address of Hiree(s)
M G Road Agra	MSSA022	Mrs Dalbir Kaur R/o 60 new raja mandi Agra.
	MSSA086	Mr Hareesh Kumar R/o 6/29; Belanganji bara bhai gali Agra.
	MSSB119	Mrs Aruna Khanna R/o 22 Bagh farzana civil lines Agra.
	MSSB149	Mrs Renu Kumari R/o 11 Vaibhav Nagar Agra.
	MSJA352	Mr Lokesh Kumar R/o 23/246 Jeoni Mandi Agra.
	MSJA357	Mr S P Kapoor R/o 78 Bharatpur House Agra.
	MSJB432	Mr Vishnu Agarwal R/o B 205; Trans yamuna colony Agra.
	MSJB439	Mrs Vimesh Shrivhara R/o B 39 New Agra.
	MSJB412	Mr Roopkishore Sehgal R/o 30 B Alok Nagar Jalpur House Agra.
	MSJB440	Mrs Savita Goyal R/o PLAT NO 404 Friends Ashiyana Khandari Agra
MSJB443	Mr Indrajit Singh R/o 43 KHANDARI ROAD Agra	

Date : 31.01.2021
Place : Agra

Senior Manager, Br: MG Road; Agra
For the Federal Bank Ltd.

**MANGALAM TIMBER
PRODUCTS LIMITED**
CIN: L02001OR1982PLC001101

Regd. Office: Vill: Kusumi, P.O. & Dist. Nabarangpur-764 059, Odisha
Ph: (06858) 222148/222142 : Fax: (06858) 222042
Email:admn@mangalamtmb.com : Website: www.mangalamtmb.com

Before the National Company Law Tribunal
Cuttack Bench, Cuttack
Company Application (CAA) No. 66/CTB/2020
In the Matter of the Companies Act, 2013 - Section 230(1) read with Section 232(1)
And
In the Matter of:
Mangalam Timber Products Limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and being a Company within the meaning of the Companies Act, 2013, having Corporate Identification No. L02001OR1982PLC001101 and its registered office at Village: Kusumi, P.O. & District: Nabarangpur - 764059, in the State of Odisha. Applicant

ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that by an order dated 18th January, 2021, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Cuttack Bench ("**Tribunal**") has directed a meeting of the Equity Shareholders of Mangalam Timber Products Limited, the Applicant abovesaid ("**Transferor Company**"), to be held for the purpose of their considering and, if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed Scheme of Amalgamation ("**Scheme**") of the Transferor Company with Mangalam Cement Limited ("**Transferee Company**") under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**Act**").

In pursuance of the said order and as directed therein, **further notice** is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of the Transferor Company will be held at the registered office premises of the Transferor Company at Village: Kusumi, P.O. & District: Nabarangpur - 764059, in the State of Odisha on Saturday, the 27th February, 2021 at 10.00 AM (IST) to consider, and if thought fit, approve the said Scheme, when the Equity shareholders are requested to attend.

Copies of the Notice containing the said Scheme of Amalgamation, form of proxy, attendance slip, Explanatory Statement pursuant to Section 230(3) read with Section 232(2) of the Companies Act, 2013 along with all annexures to such statement; Postal Ballot Form; and postage pre-paid self-addressed envelope can be obtained free of charge at the registered office of the Transferor Company as stated above.

Forms of proxy can also be obtained separately, free of charge, from the registered office of the Transferor Company.

A copy of the notice convening meeting and the accompanying documents are also placed on the website of the Transferor Company viz. www.mangalamtmb.com and the website of National Securities Depository Limited (www.evoting.nsdl.com), being the agency appointed by the Transferor Company to provide the remote e-voting facility to the Equity Shareholders, as mentioned hereinafter. The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Gopinath Nayak, Practising Company Secretary (Membership Number: F6251/ Certificate of Practice No. 6558), to be the Chairperson of the said meeting of the Equity Shareholders of the Transferor Company and Mr. Sanjay Kumar Mahapatra, Practising Company Secretary (Membership Number: F3488 / Certificate of Practice No.6002), to be the Scrutinizer for the said meeting.

TAKE FURTHER NOTICE that in terms of the said order, the Equity Shareholders of the Transferor Company shall have the facility and option of voting on the Scheme by casting their votes in person or by proxy at the venue of the meeting on 27th February, 2021 or by postal ballot/ remote electronic voting ("remote e-voting") during the respective periods as stated below:-

Manner of voting	Commencement of voting	End of Voting
A. Postal Ballot	9:00 a.m. on 27th January, 2021	5:00 p.m. on 26th February, 2021
B. Remote e-voting		
C. Voting at Venue of meeting	27th February, 2021 (upon voting being announced by the Chairperson)	27th February, 2021 (till the voting is open)

Take note that the Equity Shareholders may opt to exercise their votes only via one single mode, i.e. **by (a) by poll at the venue of the meeting or (b) postal ballot or (c) remote e-voting**. In case Equity Shareholders cast votes by both, postal ballot and remote e-voting, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done by postal ballot will be treated as invalid.

If any Equity Shareholder(s) cast their votes by postal ballot and/or remote e-voting, as aforesaid, they will nevertheless be entitled to attend the meeting and participate in the discussions in the meeting but they will not be entitled to vote again at the venue of the meeting, whether in person or by proxy. If they do so, the votes so cast by them at the venue of the meeting shall be treated as invalid. The voting rights of the shareholders shall be in proportion to their shareholding in the Transferor Company as on the close of the business hours of Friday, 15th January, 2021 ("Relevant Date 1"). The votes cast by the Equity Shareholders shall be reckoned and scrutinised for all modes of voting with reference to the Register of Members as on the Relevant Date 1.

The resolution for approval of the Scheme shall, if passed by a majority in number representing three-fourths in value of all Equity Shareholders of the Transferor Company casting their votes, as aforesaid, shall be deemed to have duly passed on the date of the said meeting (i.e. Saturday, 27th February, 2021) of the Equity Shareholders of the Transferor Company under Section 230(1) read with Section 232(1) of the Companies Act, 2013. In terms of the Securities and Exchange Board of India Circular dated 10th March, 2017 bearing reference No. CF/DIL/IR/2017/21, as amended from time to time, the Scheme shall be acted upon only if the votes cast by public shareholders in favour of the resolution are more than the number of votes cast by the public shareholders against the resolution.

Votes may be cast, as aforesaid, at the venue of the meeting by the Equity Shareholders personally or by proxy provided that in the latter case, a proxy in the prescribed form, duly signed and completed, is deposited at the registered office of the Transferor Company, not later than 48 (forty eight) hours before the time for holding the meeting. A proxy need not be an Equity Shareholder of the Transferor Company. In case a Body Corporate which is an equity shareholder authorises any person to act as its representative at the meeting, a copy of the resolution of the Board of Directors or other governing body of such body corporate authorising such person to act as its representative at the meeting, and certified to be a true copy by a director, the manager, the company secretary, or other authorised officer of such Body Corporate shall be lodged with the Transferor Company at its registered office not later than 48 hours before the scheduled time of the meeting.

In case of voting by postal ballot, the Postal Ballot Form duly completed should be returned by the Equity Shareholders so as to reach the Scrutinizer on or before **5:00 p.m. on 26th February, 2021**. In case of remote e-voting the votes should be cast by **5:00 p.m. on 26th February, 2021**. Responses received after the said times will be treated as invalid. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by National Securities Depository Limited and the Equity Shareholders will not be allowed to cast their votes by remote e-voting beyond the said date and time. Once the vote on the resolution is cast by the Equity Shareholder, she/he shall not be allowed to change it subsequently. The Transferor Company has completed the dispatch of the Notice convening meeting of the Equity Shareholders along with the Explanatory Statement and all other accompanying documents, including the postal ballot form in physical form to all Equity Shareholders. The notices, as aforesaid, have been dispatched to all Equity Shareholders of the Transferor Company whose names were appearing in the Register of Members of the Transferor Company as on the Relevant Date 1, i.e., **Friday, 15th January, 2021**.

Any person who acquires Equity Shares and becomes a member of the Transferor Company after the Relevant Date 1, i.e., **Friday, 15th January, 2021**, shall not be eligible to vote either through postal ballot, remote e-voting or by poll at the venue of the Meeting. Any recipient of this Notice who has no voting rights as on the Relevant Date 1.

The Equity Shareholders who have not received the postal ballot forms, can download the postal ballot form from the company's website viz. (www.mangalamtmb.com). In case an Equity Shareholder is desirous of obtaining a printed duplicate postal ballot form, he or she may send a request in writing to M/s. C B Mangdel Services (P) Limited, the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at P-22, Bondel Road, Kolkata 700 019 or send an email at rtat@cbmsl.com. The RTA shall forward the same along with postage prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Equity Shareholder. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Equity Shareholders and e-voting user manual for Equity Shareholders available at the downloading section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or email at admn@nsdl.co.in. Any queries/ grievances in relation to the meeting may also be addressed to Ms Priya Sharma, Company Secretary of the Applicant Company by email at priya@mangalamtmb.com.

The results of the voting on the resolution(s) set out in the Notice, will be declared on or before Monday, 1st March, 2021. Declaration of results, together with the Scrutinizer's report, will be displayed on the Notice Board of the Applicant Company at its registered office, on the website of the Applicant Company viz. (www.mangalamtmb.com) and on the website of NSDL (www.nsdl.co.in) besides being communicated to the Stock Exchanges where the shares of the Applicant Company are listed. The abovementioned Scheme of Amalgamation, if approved, by the Equity Shareholders of the Transferor Company as aforesaid, will be subject to the subsequent sanction of the Hon'



पंजाब नैशनल बैंक

...सुरो से का सुरक्षित (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

PNB

CIRCLE SASTRA - GHAZIABAD

11nd Floor, KJ 13, Kavi Nagar, Ghaziabad-201002, U.P. M. : 8650507886 Email : cs8228@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank, B/o Karhera Ghaziabad Branch Code 027210 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated **13.10.2020** calling upon the borrower M/s J.N. Robotics Automation Private Limited and Director / Guarantor 1. Shri Navneet Sharma 2. Smt. Jyoti Sharma to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 3,30,83,475.03 (Rupees Three Crore Thirty Lac Eighty Three Thousand Four Hundred Seventy Five and Paise Three Only)** plus Interest & Charges thereon within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower/guarantors/mortgagors have failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this the **28th day of January of the year 2021**.

The borrower/guarantors/mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank B/o Karhera Ghaziabad Branch Code 027210 for Loan amount of **Rs. 3,30,83,475.03 (Rupees Three Crore Thirty Lac Eighty Three Thousand Four Hundred Seventy Five and Paise Three Only)** plus interest & charges thereon.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

1. All the part and parcel of the property situated- At Plot No. N-1, Industrial Area Sikandrabad, District- Bullandshahr, UP, in the name of M/s J.N. Robotics Automation Pvt Limited, Area 1000 Sqm. Registered in the office of Sub-Registrar Sikandrabad, District- Bullandshahr, UP, at Bahi No. 1, Zild No. 7672 at pages 87 to 148 at serial no. 7268 dated 16.11.2027. **Bounded by:** On the East by: 18 mts wide road, On the West by: Plot no. N-2, On the North by: Plot no. N-18, On the South by: 12 mts wide road

2. All the part and parcel of the property situated- At plot no. N-2, Industrial Area Sikandrabad, District- Bullandshahr UP, in the name of M/s J.N. Robotics Automation Pvt Limited, Area 1000 Sqm. Registered in the office of Sub-registrar Sikandrabad, District- Bullandshahr, UP, at Bahi No. 1, Zild No. 7672 at pages 27 to 86 at serial no. 7265 dated 16.11.2017. **Bounded by:** On the East by: Plot no. N-1, On the West by: Plot no. N-3, On the North by: Plot no. N-18, On the South by: 12 mts wide road

DATE : 28.01.2021, PLACE : GHAZIABAD

AUTHORISED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK



BANARAS BEADS LIMITED

(An export House Recognised by Government of India)

Regd. & Head Office : **A-1 Industrial Estate, Varanasi-221106** (CIN No. L01131UP1900PLC004984)

Ph : 0542-2370161-64(4lines) E-mail : rksingh@banarasbead.com, investor@bblinvestor.com

(An ISO Certified Company)

Extract of Statement of Stand Alone Un-Audited IND As Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December 20 (Rs. in lacs)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended	Year to Date	Quarter Ended	Year Ended
		31.12.2020 Un-Audited	31.12.2020 Un-Audited	31.12.2019 Un-Audited	31.03.2020 Audited
1.	Total Income from Operations	621.09	1688.20	625.88	2578.06
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extraordinary items)	90.16	277.89	62.26	323.26
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	90.16	277.89	62.26	323.26
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	60.16	207.89	42.26	234.16
5.	Total comprehensive Income for the period [Comprising profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	60.16	207.89	42.26	234.16
6.	Equity Share Capital	661.39	661.39	661.39	661.39
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4104.60	4104.60	3874.92	3874.92
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) Basic & Diluted	0.91	3.13	0.64	3.53

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited financial result filed with stock exchanges under Regulation 33(3) (c) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 as amended and prepared in accordance with IND as.

2. The full format of Quarterly Financial Result are available on the Bombay Stock Exchange website (URL : www.bseindia.com/corporates), the National Stock Exchange website (URL:www.nseindia.com/corporate) and on the Company's website (URL:www.bblinvestor.com).

3. Corresponding figures in previous year / period have been regrouped wherever considered necessary.

4. Due to outbreak of COVID-19 globally and in India, the operating result of quarter ended 31st December '20 was not much effected. However, the Company's management has made internal assessment of the probable impact on business and believes that impact is likely to be short term in nature and does not foresee any medium to long term risk in Company's ability to continue as a going concern.

By order of the Board
For BANARAS BEADS LTD.
Sd/-
(ASHOK KUMAR GUPTA)
Chairman & Managing Director

Date : 28.01.2021
Place : VARANASI



BNP PARIBAS

MUTUAL FUND

Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)

Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: Crescenzo, 7th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051.

Website: www.bnpparibasmf.in • **Toll Free:** 1800 102 2595

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 04/2021

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of BNP Paribas Multi Cap Fund ('the Scheme'):

I. Investors are requested to note that pursuant to provisions of SEBI Circular SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/172 dated September 11, 2020 pertaining to "Asset Allocation of Multi Cap Funds", ("the Circular"), the Asset Allocation Pattern in the SID and KIM of the BNP Paribas Multi Cap Fund stands substituted as follows:

Asset Allocation Pattern:

Under normal circumstances, the asset allocation under the Scheme would be as follows:

Type of Instruments	Minimum Allocation	Maximum Allocation	Risk Profile
	(% of Net Assets)		
Equity and Equity related securities out of which	75	100	Medium to High
- Large Cap companies	25	50	
- Mid Cap companies	25	50	
- Small Cap companies	25	50	
Debt Instruments & Money Market Instruments (including cash and money at call)	0	25	Low to Medium
Units issued by REITs & InvIts	0	10	Medium to High

Definition of Large, Mid and Small Cap as per SEBI circular dated October 06, 2017: Large cap: 1st - 100th company in terms of full market capitalization; Mid cap: 101st - 250th company in terms of full market capitalization; and Small Cap: 251st company onwards in terms of full market capitalization.

II. Notice is hereby given that the Trustees of the Fund have approved the change in the benchmark index for BNP Paribas Multi Cap Fund as follows:

Existing	Revised	Rationale
Nifty 500 Total Return Index (TRI)	Nifty500 Multicap 50:25:25 Total Return Index (TRI)	The Nifty 500 Multicap 50:25:25 index aims to measure the performance of portfolio comprising large-cap, mid-cap and small-cap companies with target weights assigned to each market-cap segment (Large-cap, Mid-cap and Small-cap). This index includes all companies that are part of Nifty 500 index. The index will have 50% weight to Large cap stocks (NIFTY 100 stocks), 25% weight each to Mid cap (NIFTY Midcap 150 stocks) and Small cap stocks (NIFTY Smallcap 250 stocks). The benchmark in consideration is close to the asset allocation of the Scheme and hence, is an appropriate Benchmark for the Scheme.

Pursuant to aforesaid changes, necessary changes will be carried out at relevant places in the SID and KIM of the Scheme. The above provisions will be effective from January 30, 2021.

BNP Paribas Multi Cap Fund, an open ended equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks, **is suitable for investors who are seeking*:**

- Wealth creation in long term.
- Investments in actively managed portfolio of equity and equity related securities across market capitalization.

Riskometer[^]



Investors understand that their principal will be at Very High